



संख्या आर- 5570 /1107-नियम

दिनांक: 29 जुलाई 2020

सेवा में,

**अपर महासर्वेक्षक:** विशिष्ट क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/ दक्षिणी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/ मध्य क्षेत्र/ पूर्वोत्तर क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र/ भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान।

**अपर महासर्वेक्षक/निदेशक:** छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/मध्य प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/मुद्रण क्षेत्र/पूर्वी मुद्रण वर्ग/उत्तरी मुद्रण वर्ग/दक्षिणी मुद्रण वर्ग/तमिलनाडू भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/अंकीय मानचित्रण केन्द्र/ गुजरात, दमन व द्वीप भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/पंजाब, हरियाण एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/जम्मू एवं कश्मीर भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ०प्र० भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/कर्नाटक भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/केरल एवं लक्षद्वीप भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/आंध्र प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/राजस्थान भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/उड़ीसा भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/बिहार भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/झारखण्ड भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र /आसाम एवं नागालैण्ड भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/सर्वेक्षण(हवाई) एवं दिल्ली भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/ज्योड़ीय एवं अनुसंधान शाखा/भौगोलिक सूचना पद्धति और सूदूर संवेदन/मानचित्रण अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र/राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/पश्चिमी मुद्रण वर्ग/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय/स्था० एवं लेखा० अधि० (प्रशा०) म०स०का०।

**विषय: Govt. Accommodation License fees- regarding.**

सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली का अर्द्ध-शासकीय (D.O) पत्र संख्या-18011/1/2020-Pol.III दिनांक 20.07.2020 के पत्र की छायाप्रति आपको आवश्यक कार्य हेतु संलग्न की जारी है।

Signature Not Verified

Digitally Signed by COL  
SUNIL KUMAR BARRAR  
Date: 2020.07.29 18:09:35  
कर्मल

उप महासर्वेक्षक  
महासर्वेक्षक का कार्यालय

दुर्गा शंकर मिश्र  
सचिव  
Durga Shanker Mishra  
Secretary



भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011  
Government of India  
Ministry of Housing and Urban Affairs  
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

D.O. No.18011/1/2020-Pol.III  
July 20, 2020

Dear

*Secretary,*

Your attention is invited to Rule 73 (4) of CGGPRA Rules 2017 of the Directorate of Estates which inter alia states that the allotment of accommodation to the allottee shall be cancelled, in case licence fee has not been received continuously for a period of four months from an allottee or the Drawing and Disbursing Officer (DDO) of office of the allottee. It has also been observed that DDOs of many departments did not post licence fee schedule in DDO module of GPRA against Allottee Account Number (AAN) after deducting in timely manner. Sometime, this results into cancelation of allotment due to non receipt of licence fee for 4 months and thereby cause inconvenience and agony to allottee.

2. In order to overcome this, Directorate of Estates has rolled out Integration of Public Finance Management System (PFMS) with the DDO module of GPRA for automatic posting of Licence Fee through PFMS. By doing so, the process will be simplified and become more transparent. The integration will help in doing away with monthly activity of DDOs to post schedule of licence fee on DDO module of GPRA w.e.f. 01.08.2020.

3. I, therefore, request you to direct DDOs of your Ministry/Department and also the DDOs of other eligible offices under your control to login in DDO module of GPRA to fill up PFMS details and verification of AAN, address, city code etc. in PFMS salary Module of all allottees of their department for the process of integration.

*Regards,*

Yours Sincerely,  
*Durga Shanker Mishra*  
(Durga Shanker Mishra)

Secretaries to the Government of India,  
(As per attached list)